प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी/
आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक मार्च, 2023

विषय:- जनपद अयोध्या में टेढी बाजार चौराहे पर स्थित जिला पंचायत के निष्प्रयोज्य भवन पर एवं उससे आबद्ध भूमि पर पब्लिक एम्निटीज एवं जनसुविधाओ के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पत्र सं0- 114/अयो0वि0प्रा0/2022-23, दिनांक 22.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें जनपद अयोध्या में टेढी बाजार चौराहे पर स्थित जिला पंचायत के निष्प्रयोज्य भवन पर एवं उससे आबद्ध भूमि पर पब्लिक एम्निटीज एवं जनसुविधाओ के विकास हेतु रू0 687.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध मे अवगत कराना है कि शासनादेश स0- 923/57-2021-12(जी)/2021 दिनांक 20.12.2021 द्वारा परियोजना लागत रू0 2848.65 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश स0- 269/57-2022-12 (जी)/2021 दिनांक 09.06.2022 द्वारा धनराशि रू0 687.16 लाख, शासनादेश स0- 924/57-2022-12 (जी)/2021 दिनांक 30.08.2022 द्वारा धनराशि रू0 687.16 लाख तथा शासनादेश स0- 364/57-2023-12 -जी-/2021 दिनांक 03.03.2023 द्वारा धनराशि रू0 687.16 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 2161.48 लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की जा चुकी है।

3- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में परियोजना की 5 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने पर तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तथा सचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के अनुरोध के क्रम में धनराशि रू0 544.73 (रूपये पॉच करोड चौवालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- इस कार्य योजना हेतु शासनादेश स0- 923/57-2021-12(जी)/2021 दिनांक 20.12.2021, शासनादेश स0- 269/57-2022-12 (जी)/2021 दिनांक 09.06.2022 , शासनादेश स0- 924/57-2022-12 (जी)/2021 दिनांक 30.08.2022 एवं शासनादेश स0- 364/57-2023-12 -जी-/2021 दिनांक 03.03.2023 में वर्णित शर्तो का यथावत पालन वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वारणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी से किया जायेगा तथा आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण को शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,44,73,000 (रुपये पांच करोड़ चवालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-540-57-2023-12-G-2021(1), तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3- जिलाधिकारी, अयोध्या।
4- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
5- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
6- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
7- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
9- अधिषाशी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।